निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 387) पटना, सोमवार, 15 अप्रील 2024

सं० 08/आरोप–01–01/2020 सा0प्र0––4332
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
13 मार्च 2024

श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–567/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध निर्धारित मापदंड के अनुरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कार्यो का अनुश्रवण नहीं किये जाने, अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विभागीय पत्रांक–6066 दिनांक 23.12.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3057 दिनांक 27.02.2020 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर का स्पष्टीकरण (दिनांक 29.09.2020) प्राप्त हुआ, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को ही संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा श्री ठाकुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

2. श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत मामले की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1252 दिनांक 29.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा इस मामले के अग्रत्तर संचालन हेतु सचिव, समाज कल्याण विभाग–सह–विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित किया गया। इस बीच दिनांक 30.04.2021 को श्री ठाकुर के वार्ध्यक्य सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं०–6214 दिनांक 29.06.2021 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) में सम्परिवर्तित किया गया।

3. सचिव, समाज कल्याण विभाग–सह–विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–4338 दिनांक 22.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत है :–

(i) मा० मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 16.05.18 एवं 17.05.18 को गया जिले में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लाभुकों द्वारा की गयी शिकायत की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया गया। विभागीय निदेश तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने से गया जिले के

जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा के अनुरूप खाद्यान्नों का वितरण ससमय नहीं किया जाता है तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

इन आरोपों के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से यह है कि उनके विरुद्ध निर्धारित मापदंड के अनुरूप जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किये जाने का आरोप है, परन्तु आरोप में कहीं भी निर्धारित मापदंड का उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ii) आरोपित पदाधिकारी के अनुसार पत्रांक 9958 दिनांक 31.12.14 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक, पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी को उत्तरदायी माना जायेगा। परन्तु उनकी इस मामले में बिना किसी आधार एवं शिकायत के केवल उनके ऊपर ही कार्रवाई की गयी है। दिनांक 16.05.18 एवं 17.05.18 दोनों दिन मा० मंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल रहे हैं तथा उस कार्यक्रम के दौरान किसी के द्वारा उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

(iii) आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने विरुद्ध वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना/विभागीय निर्देशों का उल्लंघन/मनमाने तरीके से कार्य करने आदि आरोप अंशों के संबंध में अंकित किया गया है कि आरोप में यह वर्णित नहीं है कि उनके द्वारा किसी उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कब और कैसे किया गया, जिससे उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत है।

(iv) विभागीय कार्रवाई के दौरान उपस्थित साक्षी द्वारा उस पंचायत के डीलर से संबद्ध लाभुकों की उपस्थिति में जांच के दौरान लाभुकों के राशन कार्ड में खाद्यान्न की मात्रा की प्रविष्टि नहीं किये जाने, कई लाभुकों द्वारा कई महीनों से खाद्यान्न नहीं मिलने, कम मात्रा में खाद्यान्न दिये जाने और अधिक राशि लिये जाने जैसी स्थिति पाये जाने की पुष्टि की गयी।

(v) साक्षी के रूप में उपस्थित विशेष कार्य पदाधिकारी के अनुसार उक्त से स्पष्ट है कि प्रखंडों में पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिहार लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश–2016 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा इनके द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित निरीक्षण मापदंड के अनुरूप पर्यवेक्षण नहीं किया गया।

(vi) उल्लेखनीय है कि इस आरोप पत्र का साक्ष्य विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन है एवं उस जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवंटित अनुदानित खाद्यान्नों को लाभार्थियों के बीच प्रत्येक माह वितरण किया जाना है। जांच प्रतिवेदन के साथ लगभग 150 से अधिक लाभुकों का लिखित बयान संलग्न है, जिसमें आरोपों की पुष्टि की गयी है।

(vii) आरोपित पदाधिकारी आरोप की अवधि में जिला आपूर्ति पदाधिकारी थे, अपने अधीनस्थ आपूर्ति पदाधिकारी से विभागीय दिशा–निदेशों का अनुपालन कराना इन्हीं की जवाबदेही थी। उक्त से इनके अधीनस्थों पर कार्रवाई/चेतावनी का साक्ष्य नहीं होने के आधार पर खुद को निर्दोष माने जाने का इनका दावा मान्य नहीं हो सकता है।

(viii) आरोप पत्र के साक्ष्य के रूप में विशेष कार्य पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न लाभुकों के बयान तथा विभागीय कार्यवाही के दौरान जांच पदाधिकारी द्वारा साक्षी के रूप में उपस्थित होकर की गयी पुष्टि तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा इनका प्रतिपरीक्षण नहीं करना इस हद तक प्रमाणित है कि इनके द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न कार्यों की समीक्षा समय–समय पर नहीं की गयी है जो कार्यों के प्रति शिथिलता एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है।

निष्कर्षतः आरोप प्रमाणित होता है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–16553 दिनांक 30.08.2023 द्वारा श्री ठाकुर से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनका कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया के पदस्थापन के दौरान अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से किया गया है। उनके पक्ष को ठीक से सुनवाई नहीं की गयी है। उनके द्वारा अनुशासनहीनता एवं लापरवाही नहीं बरती गयी है।

5. श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया के पद पर रहते हुए उनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। संचालन पदाधिकारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में विस्तृत समीक्षा करते हुए आरोप को प्रमाणित पाया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में तो आरोप से इन्कार किया गया है परन्तु समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के संगत प्रावधानों के तहत श्री विनोद कुमार ठाकुर के ''पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षो तक करने'' का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक–22389 दिनांक 11.12.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव (यथा पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षो तक करने) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त सहमति/मंतव्य बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4667 दिनांक 19.02.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–567/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के संगत प्रावधानों के तहत **''पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती 03 (तीन) वर्षो तक करने''** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 387-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in